Dr. Juneja's EYE Mantra®

दीजिए अपनी आँखों को कुदरती आई मंत्रा

12 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों जैसे गुलाब, तुलसी, आंवला, नीम, पुदीना, शहद इत्यादि के योग से बनी 'आई मंत्रा' आयुर्वेदिक आई ड्रोप, आंखों में होने वाली समस्याओं जैसे आंखों में थकान, ज़ोर पड़ना, जलन, दर्द, आँख आना, आँखों में सूजन इत्यादि को दूर करने में सहायता करता है। आयुर्वेदिक होने के कारण यह सुरक्षित है एवं इसका आंखों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता।

24x7 Helpline: 8196822222 • www.eyemantra.com • Available at all leading medical stores

आई मंत्रा
EYE Mantra
Ayurvedic Eye Relief Drops

महाकुंभ : शाही स्नान पर 35 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी

महाकुंभ में चैत्र सोमवती अमावस्या को शाही स्नान के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच करीब 35 लाख श्रद्धालुओं और संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में सभी 13 अखाड़ों के संतों ने शाही स्नान किया।

चैत्र सोमवती अमावस्या पर हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में शाही स्नान के लिए जाते अखाड़ों के संत।

शाही स्नान के लिए रविवार दोपहर से ही श्रद्धालुओं का जत्था आना शुरू हो गया था। स्नान मुहूर्त सोमवार सुबह चार बजे से पांच बजे और दोपहर 12 से 12:45 तक था, लेकिन श्रद्धालुओं ने रात 12 बजे से ही स्नान शुरू कर दिया। पुलिस ने संतों के लिए सुबह आठ बजे के बाद हरकी पैड़ी और ब्रह्मकुंड घाट खाली करवा लिए।

सभी 13 अखाड़ों के संतों ने हरकी पैड़ी पर किया स्नान

पंचायती अखाड़ा निरंजनी के संतों ने सबसे पहले सुबह 9:30 बजे स्नान किया। इसके बाद आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़ा के संतों ने शाही स्नान किया।

अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 से

जम्मू। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 56 दिनों की यात्रा दो रूटों बालटाल और चंदनवाड़ी से 28 जून से शुरू होगी। यह यात्रा 22 अगस्त को पूरी होगी। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओ नितीश्वर कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यात्रियों को www.jksasb.nic.in पर अपना विवरण भरना होगा। **यात्रियों को साथ लानी होगी फोटो आईडी:** यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ मूल फोटो आईडी और सीएचसी साथ में रखना होगा। यात्रियों को निर्धारित तिथि और रूट के मुताबिक ही यात्री परमिट जारी किया जाएगा ब्यूरो

डार्कनेट से साइकोट्रोपिक ड्रग्स तस्करी, 4 गिरफ्तार

दिल्ली-एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड में छापे

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो डार्कनेट के जरिये ड्रग्स की खेप को विदेशों में भेजते थे। ये लोग हर्बल सप्लीमेंट के पैकेट में छुपाकर साइकोट्रोपिक ड्रग्स की तस्करी करते थे। एनसीबी ने चार लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में ड्रग्स और कफ सिरप जब्त किए हैं।

एनसीबी के उपनिदेशक (ऑपरेशनल) केपीएस मल्होत्रा ने कहा, दिल्ली जोनल यूनिट में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर छापा मारकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 30.5 लाख साइकोट्रोपिक ड्रग्स, 70 हजार कोडिन आधारित कफ सिरप और 14.895 किलो एंफीटेमिन ड्रग जब्त की जा चुकी है।

मल्होत्रा ने कहा, ये गिरोह डार्कनेट मार्केट होस्ट के जरिये ऑर्डर लेता था और समर्पित शिपर्स के जरिये ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये ड्रग्स मुख्य तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और अन्य देशों में भेजे जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से दो आगरा के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार की फार्मास्युटिकल कंपनी से साइकोट्रोपिक ड्रग्स मंगाते थे। इसके अलावा दिल्ली से एक व्यक्ति और उत्तर प्रदेश के बलिया से एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। ये ऑपरेशन करीब दस दिन तक चला। एजेंसी

आतंकी करते हैं इस्तेमाल

ट्रामाडोल जैसी दवाइयों को साइकोट्रोपिक ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज में किया जाता है। इसका असर कई तरह से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ट्रामाडोल शारीरिक निर्भरता बढ़ाती है और अध्ययन से पता चला है कि अगर इसे रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो यह कई हफ्तों तक हो सकती है। आमतौर पर इसे 'आईएसआईएस गोली' के नाम से जाना जाता है, जो आतंकी दर्द कम करने और शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए लेते हैं।

चीन-भारत से होती है तस्करी

ट्रामाडोल की तस्करी के लिए इंटरनेशनल रूट की शुरुआत चीन,भारत से होती है इसके बाद यह अफ्रीका होते हुए अन्य देशों तक पहुंचती है। एनसीबी इस साल दिल्ली-एनसीआर से अब तक 90 लाख पीस साइकोट्रोपिक ड्रग्स और एक लाख कोडीन आधारित कफ सिरप जब्त कर चुकी है।

सीबीआई ने देशमुख को कल किया तलब

मुंबई। सीबीआई ने 'उगाही' मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने सोमवार को देशमुख को जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया।

एक दिन पहले रविवार को सीबीआई ने देशमुख के निजी सहायकों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे से सवाल पूछे थे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की उगाही का टारगेट देने का आरोप लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले में प्रारंभिक जांच शुरू की है। ब्यूरो

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख

वाजे की डायरी मिली

सीबीआई ने सचिन वाजे की वसूली से संबंधित डायरी हासिल कर ली है। एनआईए ने क्राइम इंटेलीजेंस यूनिट (सीआईयू) दफ्तर की जांच के दौरान बरामद किया था। बताया जाता है कि इस डायरी में रेट कार्ड के अलावा किस पब और बार से कितनी वसूली की गई इसका भी कोड भाषा में उल्लेख है।

गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर रियाज काजी निलंबित

सहायक पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी को सोमवार को सेवा से निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व मनसुख हिरेन हत्या मामले में रविवार को काजी को गिरफ्तार किया था। काजी पर सचिन वाजे के साथ मिलकर साजिश रचने व सुबूत मिटाने का आरोप है। एसीपी (शस्त्र इकाई) वीरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को काजी के निलंबन का आदेश जारी किया।

विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

① गाड़ी सं. 05181/05182 गोरखपुर जं-बांद्रा (ट)-गोरखपुर जं ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी

गोरखपुर जं. से : गाड़ी सं. 05181 (मंगलवार) दिनांक 13.04.2021
बांद्रा (ट.) से: गाड़ी सं. 05182 (गुरुवार) दिनांक 15.04.2021

गाड़ी सं. 05181			गाड़ी सं. 05182	
गोरखपुर जं-बांद्रा (ट)			बांद्रा (ट)-गोरखपुर जं	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
---	13:30	गोरखपुर जं.	14:30	---
21:30	21:40	कानपुर सेन्ट्रल	07:15	07:25
01:30	01:35	टुण्डला जं.	03:10	03:15
02:30	02:40	आगरा फोर्ट	02:45	02:55
01:30	---	बांद्रा (ट.)	---	04:30

गाड़ी संरचना– एसएलआर–02, सामान्य श्रेणी–04, स्लीपर श्रेणी–07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी–06, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी–02

② गाड़ी सं. 05183/05184 गोरखपुर जं-सूरत-गोरखपुर जं ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी

गोरखपुर जं. से : गाड़ी सं. 05183 (बुधवार) दिनांक 14.04.2021
सूरत से: गाड़ी सं. 05184 (गुरुवार) दिनांक 15.04.2021

गाड़ी सं. 05183			गाड़ी सं. 05184	
गोरखपुर जं-सूरत			सूरत-गोरखपुर जं	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
---	13:30	गोरखपुर जं.	05:35	---
21:30	21:40	कानपुर सेन्ट्रल	22:20	22:30
01:30	01:35	टुण्डला जं.	18:15	18:20
02:30	02:40	आगरा फोर्ट	16:55	17:05
20:30	---	सूरत	---	23:30

गाड़ी संरचना– एसएलआरडी–02, सामान्य श्रेणी–12, स्लीपर श्रेणी–06

③ गाड़ी सं. 09501/09502 ओखा-गुवाहाटी-ओखा विशेष रेलगाड़ी

ओखा से : गाड़ी सं. 09501 (शुक्रवार) दिनांक (16, 23, 30) अप्रैल, 2021
गुवाहाटी से: गाड़ी सं. 09502 (सोमवार) दिनांक (19, 26) अप्रैल, 2021 और दिनांक 03.05.2021

गाड़ी सं. 09501			गाड़ी सं. 09502	
ओखा-गुवाहाटी			गुवाहाटी-ओखा	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
---	11:40	ओखा	14:00	---
12:20	12:30	आगरा फोर्ट	12:30	12:35
13:35	13:40	टुण्डला जं.	11:50	11:55
19:05	19:10	कानपुर सेन्ट्रल	06:10	06:15
06:30	---	गुवाहाटी	---	20:40

गाड़ी संरचना– स्लीपर श्रेणी–18, सामान्य श्रेणी–04, एसएलआर/डी–02

नोट– उपरोक्त ट्रेनों के अन्य स्टेशनों पर ठहराव एवं समय–सारणी से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे North Central Railways @CPRONCR 434/2021 V

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
(ऊर्जा भवन, मथुरा बाई पास रोड, आगरा–282007)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार के उपक्रम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, द्वारा वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021–22 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका दिनांक 22.02.2021 को मा0 आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा0 आयोग ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली है। मा0 आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र0सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 ट्रू–अप	वित्तीय वर्ष 2020-21 ए0पी0आर0	वित्तीय वर्ष 2021-22 ए0आर0आर0
1.	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि0यू0)	22,134.40	24,306.61	25,115.24
2.	ऊर्जा विक्रय (मि0यू0)	19,456.14	19,117.15	20,067.07
3.	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	12.10%	11.80%	11.33%
	वास्तविक/प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	21.27%	21.35%	20.10%
4.	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियां (%)	3.43%	3.40%	3.33%
	व्यय (रू0 करोड़)			
5.	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी0जी0सी0आई0एल0 सम्मिलित)	12,528.25	9,901.86	11,355.94
6.	ट्रांसमिशन चार्जेज (यू0पी0पी0टी0सी0एल0)	744.25	578.50	597.74
7.	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	1,595.39	1,629.33	1,836.19
8.	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	601.43	507.42	530.45
9.	ह्रास	345.87	444.82	503.83
10.	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	162.00	247.76	273.81
11.	**सकल खर्चे**	**15,977.20**	**13,309.68**	**15,097.96**
12.	रिटर्न ऑन इक्विटी	465.78	552.58	619.26
13.	घटायें: अन्य आय	170.24	24.60	24.60
14.	घटायें: ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व	6.92	6.92	6.92
15.	**सकल राजस्व आवश्यकता**	**16,265.83**	**13,830.73**	**15,665.69**
16.	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	10,831.65	10,207.20	11,510.31
17.	राजकीय सहायिकी	2,179.86	1,543.58	2,477.86
18.	**राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त (वर्तमान टैरिफ पर)**	**(3,254.32)**	**(2,079.96)**	**(1,697.53)**
19.	ऊर्जा क्रय दर (बसबार पर) (रू0/यूनिट)	4.25	4.37	4.60
20.	औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी0एस0टी0) (रू0/यूनिट)	4.89	4.99	5.41
21.	डी0वी0एस0टी0 दर (रू0/यूनिट)	0.00	4.07	4.52
22.	औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रू0/यूनिट)	5.67	5.34	5.74
23.	औसत विद्युत लागत (रू0/यूनिट)	8.36	7.23	7.82
24.	व्हीलिंग चार्जेज (रू0/यूनिट)			1.32

लाइसेन्सी द्वारा मा0 आयोग से उ0प्र0 शासन के पत्रांक 445/24.1.21/731 (बजट)/2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2019–20 के ट्रू–अप एवं वर्ष 2021–22 की ए0आर0आर0 को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलौओसेस के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा0 आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट–शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रास सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी का रोड–मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। तदनुसार मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी के अनुमोदित रोड–मैप के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है।

ट्रू–अप, ए0पी0आर0 एवं ए0आर0आर0 याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसेन्सी नोट एवं कार्यवृत्त दिनांक 01.04.2021 के प्रत्युत्तर के साथ, निगम की वेबसाईट (www.dvvnl.org) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक–होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय–समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ऊर्जा भवन, मथुरा बाई पास रोड, आगरा–282007 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
दिनांक 12/04/2021

193/द0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/सी–328

राष्ट्रहित में बिजली बचायें

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

केस्को
(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
(14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर-208001)

पत्रांक: 360/भण्डार/प्रकाशन/2020-21 दिनांक 12.04.2021

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ.प्र. सरकार के उपक्रम कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019-20 का ट्रू-अप, वर्ष 2020-21 का ए.पी.आर. एवं वर्ष 2021-22 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका दिनांक 22.02.2021 को मा. आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा. आयोग ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली हैं। मा. आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत सूचित किये जाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 ट्रू-अप	वित्तीय वर्ष 2020-21 ए.पी.आर.	वित्तीय वर्ष 2021-22 ए.आर.आर.
1	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	3578.25	3303.55	3727.58
2	ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	3300.50	3021.43	3413.34
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	11.80%	8.42%	8.25%
	वास्तविक/ प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	7.76%	8.54%	8.43%
4	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियां (%)	3.43%	3.40%	3.33%
	व्यय (रू. करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी.जी.सी.आई. एल. सम्मिलित)	1860.15	2217.70	2576.48
6	ट्रांसमिशन चार्जेज (यू.पी.पी.टी.सी.एल.)	107.67	78.62	88.72
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	342.66	411.94	437.63
8	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	64.03	44.20	50.78
9	ह्रास	31.07	40.01	45.01
10	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	22.48	49.34	55.38
11	**सकल खर्चे**	**2428.06**	**2841.82**	**3254.00**
12	रिटर्न ऑन इक्विटी	46.13	49.73	55.92
13	घटायें: अन्य आय	42.26	25.54	25.54
14	घटायें: ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व	0.00	0.00	0.00
15	**सकल राजस्व आवश्यकता**	**2431.93**	**2866.01**	**3284.39**
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	2619.39	2467.11	2768.98
17	राजकीय सहायिकी	0.00	0.00	0.00
18	**राजस्व (अन्तर) / (अतिरिक्त) (वर्तमान टैरिफ पर)**	**(187.47)**	**(398.91)**	**(515.41)**
19	ऊर्जा क्रय दर (बसबार पर) (रु./यूनिट)	4.25	4.37	4.60
20	औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी.एस.टी.) (रु./यूनिट)	4.89	4.99	5.41
21	डी.बी.एस.टी. दर (रु./यूनिट)	0.00	6.71	6.91
22	औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रु./यूनिट)	7.94	8.17	8.11
23	औसत विद्युत लागत (रु./यूनिट)	7.37	9.49	9.62
24	व्हीलिंग चार्जेज (रु./यूनिट)			1.32

लाइसेन्सी द्वारा मा.आयोग से उ.प्र. शासन के पत्रांक 445/24-1-21/731 (बजट) /2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2019-20 के ट्रू-अप एव वर्ष 2021-22 की ए.आर.आर. को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलाओसेस के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा.आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ.प्र. शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट-शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रास सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा. आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी का रोड-मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। तद्नुसार मा. आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी के अनुमोदित रोड-मैप के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है।

ट्रू-अप, ए.पी.आर. एवं ए.आर.आर. याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसेन्सी नोट एवं कार्यवृत दिनांक 01.04.2021 के प्रत्युत्तर के साथ, निगम की वेबसाइट (www.kesco.co.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेंसी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड 14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस कानपुर-208001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों मे प्रेषित कर सकते हैं।

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें" **प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड**